UPSH010040762025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–04, शाहजहॉपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1707/2025

रामनिवास पुत्र सेवाराम निवासी ग्रम बेहरिया थाना मिर्जापुर जिला शाहजहॉपुर।

. . . प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अ0सं0–174/2018,
धारा–138(बी) विद्युत अधिनियम
थाना–मिर्जापुर, जिला–शाहजहॉपुर।

आदेश

दिनांक–27.06.2025

प्रार्थी/अभियुक्त रामनिवासी की ओर से अन्तर्गत धारा 138 (बी) विद्युत अधिनियम जिला शाहजहॉपुर के मामले में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी एनबीडब्ल्यू के माध्यम से गिरफतार कर न्यायालय पेश किया गया । प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह निर्दोष है। उसे मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। उस पर लगाया गया आरोप असत्य एवं निराधार है। उसने अपने विद्युत कनेक्शन का समस्त बिल जमा कर दिया है। वह बिल रसीदें संलग्न कर रहा है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है । उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। वह दौरान विचारण साक्षीगणों को प्रभावित नहीं करेगा, न ही जमानत का दुरुपयोग करेगा। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी (विद्युत) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा बिजली की चोरी की जा रही थी। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया जाए।

मैंने उभय पक्षों के विद्धान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी पर जांच के दौरान प्रार्थी द्वारा अवैध रुप से विद्युत का उपभोग किया जाना बताया गया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर बिना कोई टिप्पणी किये आधार जमानत पर्याप्त पाया जाता है।

प्रार्थी द्वारा मु0–20,000/–रू0 का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं अण्डरटेंकिग प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–4, शाहजहॉपुर।